20रु कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

(87)

(754)

न्यायालय श्री राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्य प्रदेश

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक- /अपील/2017-18

निगरानी = 6416/2018/छिंदवाड़ा/भू०रा०

मोहम्मद शाहिद खान पिता अताबक्श

निवासी-ईदगाह पानी की टंकीके पास,

छिन्दवाड़ा, तह. छिन्दवाड़ा

जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.) ----याचिकाकर्ता

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत ... रीडर (राजस्व कोर्ट) 27 NOV 2018 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

वि रु द्ध

1. अखिलेश पाल पिता श्री कालीदास पाल
   निवासी-ग्राम-बड़गोनाजोशी, छिंदवाड़ा
   तह. व जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

2. अनीशा बी पति हसीब अली,
   निवासी-बैंक कॉलोनी, छिन्दवाड़ा
   तह. व जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

3. जुबेदा बी पिता शेख कल्लू
   निवासी-ऊंटखाना, छिन्दवाड़ा
   तह. व जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.) ------ उत्तरवादीगण

आयुक्त कार्यालय से प्राप्त। 29/11/18 रीडर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959:

याचिकाकर्ता न्यायालय श्री अतिरिक्त कमिश्नर संभाग जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक-0494 अपील 2016-17 पक्षकार मो. शाहिद खान विरूद्ध अखिलेश पाल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक--24-08-2018 से परिवेधित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं विधि आधारों पर यह पुनरीक्षण याचिका आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ :-

विचारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण प्रकरण संक्षिप्त तथ्य :

----2.......

प्रकरण कमांक निगरानी–छिन्दवाड़ा/भू0रा0/2018/6416

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
24/12/18	यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 494/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–8–2018 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर (केंप जबलपुर) में दिनांक 27–11–2018 को प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख पर विचार किया गया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 (नवीन सॅशोधित संहिता वर्ष 2018 प्रभावी दिनांक 25–9–2018) की धारा 50 में निम्नवत् संशोधन हुआ है :– धारा 50 (2) – पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन – (ख) इस संहिता के अधीन द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व **;** – ग्रहण नहीं किया जायेगा। वर्ष 2018 में उपरोक्तानुसार किये गये सॅशोधन अनुसार प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	